

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्रमांक :- राजस्व/772

दिनांक :- 28/10/28


आदेश

प्रार्थीगण फूलचन्द पुत्र बुटाराम व कमला पत्नी फूलचन्द जाति जाट साकिन ढाबा तहसील रेया के खाता "दुरुस्ती प्रार्थना" पत्र पर तहसीलदार संगरिया की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्न वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को यदि किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

चक व खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
चक 9 बीजीपी-ए खाता संख्या 63/84 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074	मनफूल उर्फ फूलचन्द पुत्र बुटाराम	फूलचन्द पुत्र बुटाराम
चक 9 बीजीपी-ए खाता संख्या 62/84 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074	मनफूल उर्फ फूलचन्द पुत्र बुटाराम	
	कमला पत्नी फूलचन्द उर्फ मनफूलराम	कमला पत्नी फूलचन्द
चक 6 बीजीपी-बी खाता संख्या 60/62 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076	कमला पत्नी मनफूल उर्फ फूलचन्द	कमला पत्नी फूलचन्द


टिप्पणी :- शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी।

क्रमांक :- सम/773


 (जय कौशिक)
 उपखण्ड अधिकारी
 संगरिया
 दिनांक :- 28/10/28

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार संगरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।


 उपखण्ड अधिकारी
 संगरिया